राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 7007/2024

हरप्रीत सिंह उर्फ हैरी पुत्र मंगल सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी भगोके, पुलिस स्टेशन मल्लांवाला, जिला फिरोजपुर, पंजाब।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री बलजिंदर सिंह संधू
		श्री विपुल जिंदल
		श्री विशाल खत्री
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एस.एस. राजपुरोहित, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

02/07/2024

1. यह आवेदक की ओर से पुलिस स्टेशन गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर में दर्ज एफआईआर संख्या 07/2023 के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21, 25 और 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत है।

2. आवेदन के निपटान के लिए प्रासंगिक और आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि 15.01.2023 को अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हेरोइन/स्मैक की एक खेप भारत आनी थी। डिलीवरी लेने आए सह-आरोपी जितेंद्र और मनप्रीत को क्षेत्र में तैनात बीएसएफ के एक अधिकारी ने मौके पर ही पकड़ लिया। इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद, पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन से नशीले पदार्थ की एक खेप आई, जिसे इन दोनों ने प्राप्त किया। इन दोनों व्यक्तियों और नशीले पदार्थ को गजसिंहपुर के एसएचओ के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आगे की कार्यवाही की। हेरोइन की मात्रा 6.063 किलोग्राम थी।

3. आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से आग्रह किया कि सह-आरोपी जितेंद्र और मनप्रीत के खिलाफ आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आवेदक को इस मामले में केवल सह-आरोपी जितेंद्र और मनप्रीत द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर फंसाया गया है, जो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और इसका कोई कानूनी मूल्य नहीं है। उनके अनुसार, घटना वर्णित रूप में नहीं हो सकती क्योंकि आवेदक के लिए सशस्त्र बीएसएफ अधिकारियों की टीम के सामने भागना संभव नहीं था, न ही आवेदक जितेंद्र और मनप्रीत से खेप की डिलीवरी लेने आया था।

4. यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और आवेदक के खिलाफ दायर की गई वर्तमान एफआईआर झूठी और निराधार है; आवेदक को झूठे मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है; उसके खिलाफ ड्रग तस्करी के घटक कैसे बनते हैं, यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है; उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है; आवेदक पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई आरोप नहीं है और आवेदक से कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। इसलिए, उसके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसके पक्ष में अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया जा सकता है। आवेदक के विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

i. आपराधिक अपील संख्या. 1610/2023 (एससी)

मोहम्मद खालिद और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य 01.03.2024 को निर्णीत।

ii. आपराधिक अपील संख्या. 1651/2023 (एससी)

मांगीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 12.07.2023 को निर्णीत।

iii. आपराधिक अपील संख्या. 3191/2023 (एससी) यूसुफ @ आसिफ बनाम राज्य 13.10.2023 को निर्णीत।

iv. एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 11677/2023 सुरेश बनाम राजस्थान राज्य 29.04.2024 को निर्णीत

v. एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 12610/2023 रामनरेश बनाम राजस्थान राज्य दिनांक 07.12.2023 को निर्णीत

vi. एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 9625/2023 अमजद खान बनाम राजस्थान राज्य दिनांक 27.05.2024 को निर्णीत

vii. एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 930/2023 गणपत बनाम राजस्थान राज्य दिनांक 02.03.2023 को निर्णीत

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि अब तक एकत्रित सामग्री के आधार पर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि आवेदक बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवा की अंतरराष्ट्रीय तस्करी में शामिल है। आवेदक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आवेदक द्वारा जांच में असहयोग पर प्रकाश डालते हुए, विद्वान पीपी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि आवेदक की हिरासत में पूछताछ के अभाव में, इस मामले में जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सकता है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, आवेदक की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, यह समीचीन है कि अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाए।

6. मैंने विद्वान बचाव पक्ष के वकील और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों की सराहना की है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

7. अग्रिम जमानत देने के मापदंडों का निर्धारण करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य (2016) 1 एससीसी 152 में सम्पूर्ण कानून का विश्लेषण करने के पश्चात निम्न प्रकार से टिप्पणी की है:-

(क) आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को गिरफ्तारी से पूर्व उचित रूप से समझा जाना चाहिए;

(ख) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या अभियुक्त ने पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास की सजा काटी है;

(ग) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना;

(घ) अभियुक्त द्वारा समान या अन्य अपराध दोहराने की संभावना;

(ङ) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हों;

(च) अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रभाव, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं;

(छ) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता,

1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से फंसाया जाता है, न्यायालय को उन पर और भी अधिक सावधानी और सतर्कता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में अतिशयोक्ति सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है;

(ज) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात् स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तथा अभियुक्त को परेशान, अपमानित और अनुचित हिरासत में रखने से रोकना चाहिए;

(झ) न्यायालय को गवाह के साथ छेड़छाड़ या शिकायतकर्ता को धमकी की संभावना की उचित आशंका पर विचार करना चाहिए;

(ज) अभियोजन में हमेशा तुच्छता पर विचार किया जाना चाहिए और जमानत देने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाक्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार होगा।

8. उपरोक्त कथन को इस मामले में लागू करते हुए तथा दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने और केस डायरी तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वह एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदतन अपराधी है। पाकिस्तान से तस्करी की गई नशीली दवा की डिलीवरी आवेदक द्वारा स्वयं सुनिश्चित की गई थी; खेप आवेदक को डिलीवर की जानी थी तथा उसके निर्देश पर ही भारत पहुंची थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क मात्र कल्पना पर आधारित हैं। आवेदक अन्तर्राष्ट्रीय नशीली दवा तस्करी रैकेट का हिस्सा रहा है। जांच में आवेदक की भूमिका स्पष्ट रूप से एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के तत्वों को संतुष्ट करती है। यह देखा गया है कि आवेदक एक गम्भीर अपराध में संलिप्त है। जांच अभी भी प्रक्रियाधीन है तथा आवेदक जांच में शामिल न होकर गिरफ्तारी से बच रहा है। इस प्रकार आवेदक के कानूनी प्रक्रिया से बचने तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की संभावना बनी हुई है।

9. मेरे विचार में, चूंकि मामला आवेदक के मामले की दहलीज पर है, इसलिए यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है तो यह व्यावहारिक रूप से आवेदक के मामले की जांच को बाधित करेगा, जिससे सच्चाई तक पहुंचने में बाधाएं आएंगी। आवेदक के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय आवेदक के मामले को पुष्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें बताए गए सिद्धांत अभियुक्त की अग्रिम जमानत के संदर्भ में नहीं हैं।

10. उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आवेदक के खिलाफ पूरी तरह से स्थापित मामले, आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मद्देनजर, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया राय रखता है कि यह याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, अग्रिम जमानत के लिए तत्काल आवेदन योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है। ऊपर जो भी चर्चा की गई है या जो भी देखा गया है वह केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है और मामले के गुण-दोष पर किसी भी राय के बराबर नहीं होगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।